INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 2000

सत्यमेव जयते

भारत

दो हज़ार रूपये TWO THOUSAND RUPEES

विक्रय पत्र
======

31/9/10 (1)

1= स्टाम्प शुल्क 2725/-रूपये आवास विकास शुल्क सहित कुल योग 2725/-रू०

2= किसम दस्तावेज= विक्रय पत्र ।=

3= विक्रीत मुल्य 25,000/-रूपये बाजारी मुल्य 18,000/-रू०=

4= विक्रीत संपत्ति का क्षेत्रफल 254-। वर्गगज =

5= विक्रीत संपत्ति औद्योगिक बस्ती के अन्तर्गत नहीं है ।

6= विक्रीत संपत्ति आबादी में है ।=

7= विक्रीत संपत्ति पर सीलिंग अधिनियम लागु नहीं होता है।=

8= विक्रेता व क्रेता किसी अनुसुचित व अनुसुचित जनजाति से नहीं है।=

9= यदि पूर्ण संपत्ति किराये पर दी जाये तो 60/-रू० प्रतिमाह से अधिक किराये पर नहीं चढ सकती संपत्ति 60-70 वर्ष पूर्व पुरानी निर्मित है।=

10= विक्रीत संपत्ति का वार्षिक मुल्यांकन 720/-रू० जिसका 25 गुना करने पर 18,000/-रू० होता है परन्तु स्टाम्प शुल्क 25,000/-रू० पर अदा किया जा रहा है।

मैं कि योगेन्द्र कुमार उर्फ मुल चंद पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल निवासी गढरोड निकट बिहारी आश्रम हापुड़ का हूं ।=== विक्रेता

विदित हो कि विक्रीत संपत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस विक्रय पत्र के अंत में दिया गया है श्री बाबु राम चरण दास की संयुक्त संपत्ति थी । उन्होंने अपने पीछे तीन पुत्र श्री रघुवीर शरण, श्री शंकरलाल व श्री तुलसी राम छोड़े । श्री बाबु राम , चरण दास के मृत्यु के बाद

योगेन्द्र कुमार

==2

2000/-

श्री [illegible] चन्द्र

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2757/ 2.5.81

K.C.Q. [illegible]

निबन्धन कोष रजि:सूचना पुस्तक [illegible] कार्यालय

25000/ 251/ 5/ 256/ 2004

श्री योगेन्द्र कुमार

श्री [illegible]

ग्रा० [illegible]

[illegible] उप निबन्धक [illegible] में [illegible] 9.6.81

[illegible]

9.6.81

योगेन्द्र कुमार [illegible]

श्री योगेन्द्र कुमार

25000/- रुपया

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9.6.81

योगेन्द्र कुमार [illegible]

Nagendra Kumar

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

एक वाद बाबत बंटवारा श्री शंकर लाल द्वारा सिविल जज दिवतीय मेरठ प्रस्तुत किया गया उपरोक्त वाद 20 सन् 1947 था । और उक्त वाद में श्री शंकर लाल को कुल जायदाद मुश्तरका का एक बटा तीन हिस्सा मिला और इस प्रकार श्री शंकर लाल विक्रीत संपत्ति के एक मात्र स्वामी व अधिकारी हुए और वह उक्त संपत्ति के तनहा स्वामी , थे ।

विदित हो कि श्री शंकर लाल का देहान्त वर्ष लगभग 1952 के बाद में हुआ उन्होंने अपने पीछे अपनी बेवा श्रीमती नारायणी देवी छोड़ी इसके अलावा मुझ विक्रेता को श्री शंकर लाल ने अपनी जिन्दगी में मुझे अपना दत्तक पुत्र मानकर बतौर पुत्र मेरा पालन-पोषण किया और मैं उनके पास बतौर पुत्र की हैसियत से रहता रहा । ताजिन्दगी उनके साथ बतौर पुत्र रहा।

विदित हो कि उपरोक्त श्री शंकर लाल गुप्ता ने एक वसीयत दि० 21=11=51 अंकित की उक्त वसीयत में ताजिन्दगी अपनी समस्त जायदाद के वह स्वयं मालिक रहे उनके बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी व उनके बाद मुझ विक्रेता को संपत्ति के बेचने व हस्तान्तरण करने के अधिकार प्राप्त हुए । मेरी माता श्रीमती नारायणी देवी का देहांत आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व हुआ और अपने पिता व माता के देहान्त के बाद मैं विक्रेता उनका एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी हूं । और वसीयत =

सत्यमेव जयते
भारत
INDIA
75रू. 75RS
SEVENTY FIVE RUPEES

दिनांक 21=11=51 अनुसार मुझ विक्रेता को विक्रीत संपत्ति बेचने तथा हस्तान्तरण करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं मैं विक्रेता संपत्ति का पिछले लगभग 30 वर्षों से किराया वसूल करके किराये की रसीद जारी कर रहा हूं विक्रीत संपत्ति में मेरे अलावा कोई भागीदार व साझीदार नहीं है अर्थात मैं विक्रेता संपत्ति का एक मात्र स्वामी अधिकारी व आधिपत्य में हूं । विक्रीत संपत्ति हर प्रकार के भार आदि से मुक्त है अर्थात संपत्ति कहीं रहन बेय कुर्क व जेर जमानत व कर्जा बैंक व सोसायटी नहीं है अर्थात संपत्ति बेबाक व साफ है । मुझ विक्रेता को संपत्ति से इतना लाभ नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिये इसके अलावा संपत्ति की कीमत भी अच्छी प्राप्त हो रही है विक्रेता की माता श्रीमती नारायणी देवी का नाम नगरपालिका अभिलेख में बतौर स्वामी अंकित है और मैं विक्रेता ही संपत्ति के समस्त कर आदि अदा कर रहा हूं मेरे अलावा संपत्ति में मेरा कोई साझीदार व भागीदार नहीं है अर्थात मैं अकेला ही संपत्ति का तनहा स्वामी हूं ।

अतः मुझ विक्रेता उपरोक्त श्री योगेन्द्र कुमार उर्फ फुलचंद पुत्र स्व0 श्री शंकर लाल नि0गढरोड हापुड ने अपनी स्वेच्छा, स्वस्थ मस्तिष्क व इन्द्रियों की दशा में बिना किसी के बहकावे बिना दबाव अपनी पूर्ण संपत्ति जिसका विवरण इस विक्रय पत्र के अंत में दिया गया है बदस्त क्रेता महोदय श्री कृष्ण चंद ग्रोवर पुत्र श्री मथुरा प्रसाद ग्रोवर नि088 हरिद्वार रोड

५०रु. भारत INDIA FIFTY RUPEES 50RS.

21/9/..

3084/4

ऋषिकेश जिला देहरादून को मु0 25,000/- पच्चीस हजार रुपये में कतई विक्रय कर दी है और विक्रीत मुल्य मु0 25,000/- रु0 इस विक्रय पत्र के अंकित व पंजीकृत करते समय नकद सब रजिस्ट्रार महोदय देहरादून के समक्ष नकद वसुल पा लिये हैं और अब विक्रीत मुल्य में कुछ भी लेना शेष नहीं है यदि मैं इसका स्वाचन करूँ तो निरर्थक होगा संपत्ति का मालकाना कब्जा मुझ विक्रेता ने क्रेता का करा दिया है जो अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त थे अथवा प्राप्त होने संभव थे उन सबके अधिकारी आज से क्रेता महोदय हो गये हैं मेरा व मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई ताल्लुक आज से विक्रीत संपत्ति से नहीं रहा । आज तक के समस्त कर जो भी होंगे उन सबको अदा करने की जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की है व आज के बाद समस्त कर आदि क्रेता महोदय अदा करेंगे मुझ विक्रेता ने क्रेता महोदय को अपने समान विक्रीत संपत्ति पर आरूढ़ करा दिया है । क्रेता को अधिकार होगा कि विक्रीत संपत्ति को जिस प्रकार चाहे उपयोग व उपभोग में ला सकते हैं उन्हें अधिकार होगा कि किरायेदारों से किराया वसुल करें अर्थात आज से किरायेदार श्री कृष्ण चंद ग्रोवर के किरायेदार हो गये हैं । यदि भविष्य में मुझ विक्रेता की किसी कमी अथवा दोष के कारण अथवा कोई भार आदि पाये जाने के कारण अथवा किसीव्यक्ति के उत्पन्न होकर अपना अधिकार सिद्ध करने के कारण अथवा किसी अन्य कारण विक्रीत संपत्ति अथवा उसका

फोतो.. ..कुमार ..

कोई भाग क्रेता महोदय के अधिकार व कब्जे से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि निकली गयी संपत्ति, कीमत बढोतरी तथा हर्जा सहित मुझ विक्रेता से जिस प्रकार चाहे वसुल कर सकते हैं मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत संपत्ति समस्त हवा पानी रोशनी व सुखाधिकार सहित मय फिटिंग चालु सहित विक्रय की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि नक्शे में दर्शित दीवार ए0बी0 क्रेता श्री कृष्ण चंद ग्रोवर व श्री अमर नाथ की संयुक्त दीवार होगी इसके अलावा विक्रीत संपत्ति के ऊपर की मंजिल में एक कमरा, ~~xxxxxxxxxx~~ रसोई श्री कृष्ण देव की किरायेदारी में है और क्रेता को अधिकार है कि उनसे किराया वसुल करें उसका कब्जा मालकाना क्रेता महोदय को दे दिया है क्रेता महोदय को यह भी अधिकार होगा कि जो बकाया किराया किरायेदारी की ओर हैं उसे वसुल कर सकते हैं अर्थात किराया भी इस विक्रय पत्र विक्रय किया गया है ऊपर की मंजिल में एक कोठरी खाली है जो विक्रेता के अध्यासन में है जिसका खाली वास्तविक कब्जा आज मौके पर दे दिया। जहां जहां शब्द विक्रेता व क्रेता आये हैं वहां वहां उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व प्रतिनिधि आदि का समावेश समझा जायेगा। =

विवरण संपत्ति
===========

संपत्ति नं0 88 हरिद्वार रोड ऋषिकेश जि0देहरादून जो साथ में सलंग्न नक्शे में लाल रंग से व अंग्रेजी के शब्द ए0बी0सी0डी0 से चिन्हित है व जिसकी सीमायें इस प्रकार हैं :-

उत्तर में= 3 फुट चौडी संयुक्त नाली व बाद में संपत्ति श्री माधो राम अत्री=
दक्षिण में= संपत्ति श्री राज कौशल्या व सतीश कुमार आदि=
पूर्व में= हरिद्वार बद्रीनाथ रोड.=
पश्चिम में= संपत्ति श्री अमर नाथ ग्रोवर जो आज विक्रेता ने विक्रय की।

अत: यह विक्रय पत्र लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवे इति लिखित दिनांक 9=6=1981 ई0 स्थान - देहरादून।

हस्ताक्षर= [signature]

साक्षी= साक्षी= Nagendra Kumar S/o Yogendra Kumar Station Road Hapur

रचियता= श्री एस0के0गोयल एडवोकेट देहरादून।

टाईपकर्ता= अजय कुमार कर्णवाल, देहरादून [signature]